जानवरों का शिकार

1403. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "अमीरों का मनोरंजन, जानवरों का सफाया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो इस समाचार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार में शिकारियों द्वारा मारे जा रहे वन्य-जन्तुओं की सुरक्षा हेतु क्या कार्रवाई कर रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, हां। यह खबर उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर अभयारण्य की सीमा, इसकी कानूनी अवस्थिति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों, प्रभावी व्यक्तियों द्वारा अवैध शिकार की समस्या, झाबर मृग सहित वन्यजीव-जन्तुओं को बिजली का करंट लगा कर मारने, भूमि के अवैध कब्जे, घास और मछली का अवैध नीलाम तथा अभ्यारण्य के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त और असुसज्जित फील्ड स्टाफ के बारे में है।

(ख) मुख्य वन्यजीव वार्डन ने खबर दी है कि फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित रूप से गस्त लगायी जा रही है और अवैध शिकार को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिसे 1995-96 में काफी हद तक नियंत्रित किया गया है।

अभयारण्य के वास्तविक ब्यौरे तथा की गई कार्रवाई में हैं:—

हस्तिनापुर अभयारण्य में उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद और बिजनौर जिलों का 2073 वर्ग कि०मी० का क्षेत्र आता है। इसका 186.26 वर्ग कि०मी० क्षेत्र ही राज्य वन और वन्यजीव विभाग के नियंत्रणाधीन है और शेष वनेतर क्षेत्र है जिसमें काफी लोगों की आबादी और खेती है। राज्य मुख्य वन्यजीव वार्डन ने खबर दी है कि सिंचाई विभाग के डूब क्षेत्र जो अभयारण्य का हिस्सा है, में स्थानीय पंचायत द्वारा मछलियों, घास आदि की नीलामी की जाती है जिसके लिए राज्य मुख्य वन्यजीव वार्डन ने आपत्ति की है। अपर्याप्त और असुसज्जित फील्ड स्टाफ के साथ-साथ ये मसले अभयारण्य के वनेतर भूमि में वन्यजीव-जन्तुओं की सुरक्षा के लिए समस्या बन रहे हैं। मुख्य वन्यजीव वार्डन ने यह भी खबर दी है कि 1995-96 के दौरान अपराध के 62 मामलों का पता लगाया गया जिनमें से 9 मामले न्यायालयों को भेजे गए। केवल 2 मामले ही वन्यजीव-जन्तुओं के अवैध शिकार किए जाने से संबंधित है और झाबर मृग के अवैध शिकार की कोई खबर नहीं है।

Rise in Subsidy of Chemical Fertilizers

1404. SHRI PARAG CHALIHA:
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what will be the total increase per annum due to recent rise in subsidy rates on chemical fertilizers; and

(b) what is the justification, if any, of this rise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SHEES RAM OLA): (a) On account of increase in the rates of special concession on decontrolled phosphatic and potassic fertilizers, the provision of Rs. 500 crore made in the interim budget for 1996-97 has been revised to Rs. 2224 crores.

(b) The rates of special concession have been enhanced with a view to making these fertilizers available to farmers at reasonable prices so as to increase their consumption and improve the N.P.K. ratio.

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव

1405. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993—96 के दौरान राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत सरकार को कितने राज्यों से कौन-कौन सी नदियों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) योजनाओं के नाम तथा उनमें से प्रत्येक के लिए आवंटित धनराशि के संबंध में ब्यौरा क्या है;